तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपाल v/s गोपीचन्द	

08/11/24 पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय से तलब की गई, प्रार्थी(वादी) का मूल-वाद प्रार्थी(वादी) के प्रार्थना-पत्र पर खारिज किया जा चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। प्रार्थी के निवेदन किया कि मेरा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के तर्कों पर विचार किया गया व उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 R.T.Act इसी तथ्य पर खारिज फरमाया जाता है तथा दिनांक 20/10/2024 को जारी T.L. vacate की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

गोप